न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज लीलाराम ....बनाम.......... चनीराम मु.नं.– 02/24 किस्म – प.इ.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	29.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
02/2024	09.01.2024	29.07.2025

बउनवान

1. लीलाराम पुत्र श्री मंगोलीराम, निवासी कांकरवास, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. धनीराम पुत्र जीवण, निवासी कांकरवास, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. श्रामहंस उर्फ हंसराज पुत्र किशन, निवासी कांकरवास, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. भूमिधारक जरिये तहसीलदार बैजूपाडा, जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री लीलाराम मीना ।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 – श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात खाता सं. नया 90 पुराना 50 के खसरा सं. 100 से 105, 129 से 140, 142 से 144, 146, 149, 154 से 164, 183 से 187, 188/638, 189, 189/637, 190/636, 191 से 198, 200 से 203, 205 से 227, 266, 29, 297 से 299, 30, 306, 31 से 33, 339, 34, 340 से 349, 35, 350, 351, 353 से 356, 356/640, 357, 358, 36 से 38, 380, 39 से 43, 434 से 438, 438/644, 439, 44, 440, 442, 445/627, 446/626, 45, 45/634, 452, 453, 46 से 72, 81/635, 82 से 90, 99, कुल किता 173 कुल रकबा 29.74 हैक्टे. वाके ग्राम कांकरवास, तहसील बैजुपाडा जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सम्मिलत कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिसको मौके पर पक्षकारान आपसी बाहमी तौर पर बांट कर अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर अर्से दराज बजमाने बुजुर्गान से काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे है। प्रार्थी अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि खसरा सं. 188 पर अपनी पुख्ता रिहायश बनाकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी को व अन्य सहखातेदारान को अपनी भूमि पर आने जाने के लिये अर्से दराज बजमाने बुजुर्गान से चले आ रहे रास्ता खसरा सं. 161 रकबा 0.20 हैक्टे. है जो अर्से दराज से रास्ते के उपयोग उपभोग में आता रहा है। अप्रार्थी बाहूबली है तथा पैसे व आदमियो की ताकत के बल पर प्रार्थी के हक हिस्से व अधिकारात की भूमि खसरा सं. 146 जिसमें प्रार्थी का हिस्सा कायम है, अप्रार्थी अपनी ताकत के बल पर व प्रार्थी की गरीबी एवं प्रार्थी के बच्चे जो कि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अध्ययनरत है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे है जिनका भविष्य खराब करने की नीयत से प्रार्थी के खेत खसरा सं. 188 जिसमें प्रार्थी के द्वारा अपनी रिहायश बना रखी है जिसके आगे की ओर कायम रास्ता खसरा सं. 161 रकबा 0.20 हैक्टे. में अपना नाजायज जबरिया अतिक्रमण करते हुये प्रार्थी के आवागमन को बंद करने की नीयत से एवं प्रार्थी के दरवाजे के आगे जबरन रास्ते की भूमि पर पुख्ता निर्माण करने को आमादा होने पर प्रार्थी के बडे भाई रत्तीराम के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.2023 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर न्यायालय के द्वारा दिनांक 03.11.2023 तहसीलदार बैजूपाडा को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेश फरमाये गये जिस पर तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा थानाधिकारी बैजूपाडा को नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश फरमाये गये और विवादित रास्ता खसरा सं. 161 रकबा 0.20 हैक्टे. का मौके पर हल्का पटवारी बैजूपाडा, हल्का पटवारी बालाहेडा एवं एल.आर. के द्वारा मौके पर जाकर दिनांक 30.11.2023 नाप की जाकर सीमाज्ञान किया गया व निशानात कायम किये गये जिनको अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपने मददगारान एवम परिवारजन रामहंस, रिंकू, राजन्ती एवं अन्य लोगो को लेकर हाथों में लाठी डण्डे लेकर हल्का पटवारी एवं तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा दिनांक 30.11.2023 को लगाये गये निशानात को मौके से उसी दिन सांय को हटा दिये गये जिसकी शिकायत प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार बैजूपाडा के समक्ष पुनः की गई जिस पर तहसीलदार बैजूपाडा, नायब तहसीलदार बैजूपाडा व हल्का पटवारी के द्वारा पुनः दिनांक 27.12.2023 को वापिस नाप करके मौके पर निशानात कायम किये गये। तहसीलदार बैजूपाडा एवं नायब तहसीलदार बैजूपाडा व हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 27.12.2023 को लगाये गये निशानात को अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 29.12.2023 को पुनः मददगारान एवं परिवारजन रामहंस, रिंकू, व राजन्ती एवं अन्य लोगों को लेकर हाथो में लाठी डण्डे लेकर हल्का पटवारी एवं तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा दिनांक 30.11.2023 को लगाये गये निशानात को मौके से हटा दिये तथा रास्ते की भूमि में जबरन निर्माण करने के लिये पत्थर बजरी आदि डाल कर नींव खोदना चालू कर दिया। प्रार्थी ने मना किया तो जान से मारने पर आमादा हो गये तथा ऐलानियां धमकी दी कि हम प्रार्थी का रास्ता हर सूरत में बंद करके रहेंगे तथा रास्ते की भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करके पुख्ता निर्माण करके रहेंगे। यदि अप्रार्थी अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति सम्भव नही होगी। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पांबद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण स्वयं या अपने नौकरों एजेन्टों घरवालों या अन्य मददगारान के भूमि खसरा सं. 161 रकबा 0.20 हैक्टे. गै. मु. रास्ते स्थित ग्राम कांकरवास, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में किसी भी प्रकार खाम या पुख्ता निर्माण नही करे, रास्ते में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही करे, रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध पैदा न करे, प्रार्थी को रास्ते के आवागमन में उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की अडचन पैदा न करें। मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

2. प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

सं. 161 रकबा 0.20 हैक्टे. प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसकी किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। प्रार्थी इस रास्ते का लम्बे समय से आवागमन के लिये उपयोग करता रहा है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। रास्ते पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के द्वारा किसी भी तरह का निर्माण या अतिक्रमण किये जाने से प्रार्थी के रास्ते के उपयोग उपभोग के अधिकार में बाधा उत्पन्न होगी जिससे प्रार्थी को असुविधा होगी तथा अपूरणीय क्षति होगी।

5. उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक वादग्रस्त आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम कांकरवास, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 161 रकबा 0.20 हैक्टे. रकबा 0.20 हैक्टे. के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 09.01.2024 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 विवादित आराजी के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थी के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकगें एवं उक्त भूमि को किसी दीगर व्यक्तियों को बेचान नहीं करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 29.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

जाकर दिनांक 09.01.2024 को इस आंशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि उभय पक्ष ग्राम कांकरवास, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं. 161 रकबा 0.20 हैक्टे. भूमि के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। किसी भी प्रकार खाम या पुख्ता निर्माण नही करे, रास्ते में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही करे, रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध पैदा न करे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बाद अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री जितेन्द्र गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया एवं जबाव प्रार्थना पत्र के लिए समय चाहा। बार–बार समय देने के बाद भी प्रार्थना पत्र का जबाव नहीं देने व न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जवाब का अवसर बन्द किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.02.2024 को प्रार्थना पत्र में मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 26.12.2024 को नोट प्रेस कर लिया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

4. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार, ग्राम कांकरवास, पटवार हल्का बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा में स्थित विवादित आराजी खसरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)